महत्वपूर्ण / आवश्यक
संख्या–326/एक–11–2021

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 03 मई, 2021**

विषय– कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लाकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु e-pass आनलाइन जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लाकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति आनलाइन e-pass जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यतः सूची बद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिये पास जारी करने हेतु निर्मित की गयी है। आमजन चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिये भी e-pass के लिये आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नही हो रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है।

2. **आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से आनलाइन e-pass हेतु आवेदन कर सकेंगे।** e-pass portal में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम 05 कार्मिकों हेतु पास आवेदन कर सकेगी।

3. आनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। आवेदनों को परीक्षणोपरान्त स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृत किये गये आवेदनों हेतु e-pass आनलाइन जारी किये जायेंगे जिनको आवेदक द्वारा उन्हें प्राप्त SMS में दिये गये लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड/प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। e-pass की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।

4. e-pass की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को e-pass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया GST प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण–पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य e-pass जारी करने हेतु उपजिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अन्तर्जनपदीय e-pass जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी अधिकृत होंगे।

6. संस्थानों हेतु जारी e-pass लाकडाउन की सम्पूर्ण अवधि हेतु वैध होगें जबकि आमजन हेतु जारी जनपदीय e-pass की वैधता 01 दिवस की होगी एवं अन्तर्जनपदीय e-pass की वैधता 02 दिवस की होगी।

7. चेकिंग के दौरान e-pass का सत्यापन QR-Code के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि e-pass मात्र अत्यावश्यक एवं लाकडाउन की अवधि में परिस्थितिजन्य कठिनाइयों के निराकरण हेतु निर्गत किये जाये तथा लाकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये e-pass जारी किये जाने में सावधानी बरती जाये।

8. प्रदेश के बाहर के राज्यों के लिये विशिष्ट मामलों में e-pass, आवेदक के प्रस्थान जनपद से सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

9. e-pass आनलाइन जारी किये जाने की प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश संलग्नकर प्रेषित किये जा रहे है।

10. आवेदन सम्बन्धी किसी भी समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/राहत आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैः–

(1)	श्री रामकेवल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग	–	मो0 न0 9411006000
(2)	श्री चन्द्रकान्त, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट	–	मो0 न0 9988514423
(3)	वाट्सऐप नम्बर	–	9454441081
(4)	राहत आयुक्त कार्यालय	–	0522–2238200

11. e-pass निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/गाइड लाइन का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

02/5/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/एक–11–2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

10. आवेदन सम्बन्धी किसी भी समस्या के निदान हेतु निम्नलिखित अधिकारियों/राहत आयुक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है:—

(1)	श्री रामकेवल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग	—	मो0 न0 9411006000
(2)	श्री चन्द्रकान्त, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट	—	मो0 न0 9988514423
(3)	वाट्सऐप नम्बर	—	9454411081
(4)	राहत आयुक्त कार्यालय	—	0522—2238200

11. e-pass निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों/गाइड लाइन का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,

03/5/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— (1)/एक—11—2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

03/5/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

कोविड–19 ePass उ०प्र०

A. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों हेतु दिशानिर्देश–

1. तकनीकी कारणों से आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरे जाएंगे
2. आवेदन में किसी भी विशेष करैक्टर का प्रयोग वर्जित है।
3. आवेदक सर्वप्रथम पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अंकित कर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करेंगे।
4. ओटीपी को संबंधित बॉक्स में अंकित करने पर आवेदन करने हेतु फार्म खुल जाएगा।
5. संस्थागत पास हेतु ऑनलाइन फॉर्म में संस्था प्रमुख/आवेदक अपना नाम, जन्मतिथि/उम्र, लिंग, जनपद, तहसील व पूरा पता आदि विवरण भरेंगे।
5. संस्था द्वारा आवेदन करते समय GST प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि में से कोई एक अपलोड किया जाएगा। आमजन स्वयं की फोटो एवं फोटोयुक्त पहचान–पत्र यथा–आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि में से कोई एक अपलोड करेंगे।
6. ePass जनपदीय सीमा हेतु चाहिए अथवा अंतर्जनपदीय? यह चयनित करेंगे।
7. ePass किस प्रकार की सेवा के लिए चाहिए, यह चुनेंगे।
8. ePass कब से कब तक चाहिए, उस अवधि को चुनेंगे।
9. यदि वाहन प्रयोग किया जाना है, तो वाहन का पंजीकरण संख्या (नम्बर प्लेट) अंकित करेंगे।
10. भरे हुए फॉर्म को आवेदक भली भांति चेक करके अंतिम रूप से सबमिट करेंगे।
11. भरे गए फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट प्रणाली से डाउनलोड कर प्रिंट किया जा सकता है। एक्नॉलेजमेंट में यूनीक (Unique) आवेदन संख्या तथा आवेदन का दिनांक व समय अंकित रहेगा। यह एक्नॉलेजमेंट आवेदक के मोबाइल नंबर पर भी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा।
12. ePass जारी होने अथवा आवेदन अस्वीकृत होने की सूचना आवेदक को SMS से प्राप्त होगी।
13. आवेदक द्वारा SMS में दिए गए लिन्क पर क्लिक करके ePass को डाउनलोड/ प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ePass की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।
14. जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ePass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया GST प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं फोटोयुक्त पहचान–पत्र यथा– आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

B. सेवाओं की श्रेणियां

B-1. **संस्थागत सेवाएँ**

1. खाद्य सामग्री (फल, सब्जियां, दूध, बेकरी के सामान, मांस, मछली आदि)
2. जनरल प्रोविजन स्टोर
3. रेस्टोरेंट्स (टेक अवे/होम डिलीवरी यथा–स्विगी, जोमैटो आदि)
4. आवश्यक वस्तुओं यथा– भोजन, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित ई–कॉमर्स
5. राशन की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
6. विद्युत विभाग
7. जल आपूर्ति
8. डेरी प्लांट
9. बैंकिंग (एटीएम सहित)
10. दवा की दुकानें एवं फार्मेसी (होलसेलर/रिटेलर/CNF/Agents सहित)
11. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
12. वित्त एवं लेखा कार्मिक (मात्र वेतन/मानदेय/कंटीजेंसी/स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं से संबंधित व्यय हेतु)
13. दूरसंचार, इंटरनेट एवं डाक सेवाएं
14. पेट्रोल पंप (एलपीजी/सीएनजी/तेल एजेंसी, गोदाम एवं परिवहन कार्यो सहित)
15. पशु–पक्षियों हेतु चारा–दाना
16. उपरोक्त वर्णित वस्तुओं व सेवाओं से संबंधित विनिर्माण/अनुरक्षण/उत्पादन/प्रोसेसिंग/परिवहन/संग्रहण/वितरण/व्यापार परिचालन, आदि
17. अग्निशमन

18. कारागार
19. नगर निकाय संबंधी सेवाएं
20. विधान सभा विधान परिषद से संबंधित कार्य
21. कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रेट दायित्व के निर्वहन हेतु
22. अन्य आवश्यक सेवाएं/व्यवस्थाएं जिन्हें सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाए।

B-2. व्यक्तिगत सेवाएँ

1. चिकित्सकीय सेवा (पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सहित)

C. ऑनलाइन आवेदन के परीक्षण/सत्यापन कर निर्णय करने के लिए अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों हेतु दिशानिर्देश–

1. पोर्टल पर ePass जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारियों की यूजर ID वही होगी, जो वर्तमान में जनसुनवाई–समाधान (IGRS) पोर्टल पर है, परन्तु डिफॉल्ट पासवर्ड **Admin@1234** होगा, जिसे प्रथम बार लॉग इन करने पर परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।

2. पासवर्ड बदलने के अतिरिक्त यूजर को पोर्टल पर अपना विवरण यथा नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अंकित कर स्कैन्ड हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। उक्त विवरण एवं हस्ताक्षर जारी ePass में प्रदर्शित होगा।

3. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत–

अ) यदि आवेदक द्वारा जनपदीय सीमा में ePass हेतु आवेदन किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वह आवेदन आवेदक की तहसील के उपजिलाधिकारी की यूजर आईडी में परीक्षण/सत्यापन हेतु प्राप्त होगा।

ब) यदि आवेदक द्वारा अंतर्जनपदीय ePass हेतु आवेदन किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में वह आवेदन जनपद के अपर जिलाधिकारी (F/R) की आईडी में परीक्षण/सत्यापन हेतु प्राप्त होगा।

4. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण/सत्यापन कार्यालय में ही किया जाएगा।

(सामान्य परिस्थितियों में भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही आवेदन का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा।)

5. आमजन को मुख्यतः चिकित्सकीय सेवा की श्रेणी में ही ePass जारी किए जाएं।

6. परीक्षण/सत्यापन किए जाने के उपरांत आवेदन को तत्काल अस्वीकृत अथवा स्वीकृत किया जाएगा।

7. आवेदन स्वीकृत किए जाने की स्थिति में अधिकृत अधिकारी द्वारा ePass ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को ऑटोमेटेड SMS के माध्यम से प्राप्त होगी।

D. लॉकडाउन को लागू कराने वाले अधिकृत अधिकारियों, पुलिस आदि द्वारा ePass की चेकिंग हेतु दिशानिर्देश–

1. जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ePass के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया फोटोयुक्त पहचान–पत्र यथा– आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ePass की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी।

2. संस्थानों हेतु जारी ePass लॉकडाउन की अवधि तक वैध होंगे, जबकि आमजन हेतु जारी ePass की वैधता 01 दिवस की होगी।

3. ePass की वैधता उस पर अंकित क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जांची जा सकेगी। एंड्राइड मोबाइल धारक इनबिल्ट स्कैनर द्वारा एवं iphone धारक QR कोड स्कैनर को डाउनलोड कर ePass के QR कोड को जांच सकेंगे।

4. इसके अतिरिक्त, जांचकर्ता द्वारा ePass में अंकित विवरण का मिलान आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से भी किया जा सकता है।

नोट : उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के निदान हेतु अधिकारियों द्वारा ईमेल upePass@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

******